भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 575

06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बरगढ़ और झारसुगुड़ा में पीएमएवाई-यू के लाभार्थी

575. श्री प्रदीप पुरोहितः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के आरंभ से लेकर अब तक बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में इसके अंतर्गत स्वीकृत और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और ब्लॉकवार कितने आवास आबंटित किए गए हैं;

(ख) उक्त जिलों में महिलाओं और पुरुषों के नाम पर अलग-अलग कितने मकान पंजीकृत हैं; और

(ग) पीएमएवाई-यू के विस्तार के लिए भावी रूपरेखा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): 'भूमि' और कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25 जून, 2015 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मिशन के तहत केंद्रीय सहायता से निर्मित/अधिग्रहित आवास वरीयता आधार पर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होने चाहिए।

प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, इस मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू के तहत कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत आवासों के लिए 2.0 लाख करोड़ (लगभग) की केंद्रीय सहायता शामिल है; जिसमें से 27.01.2025 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1.68 लाख करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं।

राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ओडिशा के बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में स्वीकृत और जारी/उपयोग की गई केंद्रीय सहायता के साथ-साथ पीएमएवाई-यू की शुरुआत से महिलाओं और पुरुषों के नाम पर स्वीकृत/आवंटित आवासों का शहर-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित करने के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर आवासों का निर्माण, खरीद की जा सके और किराए पर लिए जा सके। इस योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध हैं।

*****

दिनांक 06-02-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 575 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में आने वाले शहरों के लिए ओडिशा द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार लिंग आधारित विवरण के साथ-साथ स्वीकृत आवासों और केंद्रीय सहायता की वित्तीय प्रगति का विवरण

क्र. सं.	ज़िला	शहर का नाम	स्वीकृत आवास (संख्या में)	ओडिशा द्वारा अब तक प्रस्तुत लिंग विवरण		केंद्रीय सहायता का विवरण (करोड़ रुपए में)		
				पुरुष	महिला	स्वीकृत	जारी	उपयोग की गई
1	बरगढ़	अत्ताबीरा	477	16	223	7.22	6.68	5.09
2		बारापाली	838	72	358	12.63	10.36	8.71
3		बरगढ़	2219	460	1206	35.17	30.16	28.42
4		बिजेपुर	264	5	88	3.96	3.43	3.35
5		पद्मपुर	736	46	326	11.2	10.01	8.53
6	झारसुगुडा	बेलपहाड़	985	31	416	14.85	13.87	12.72
7		ब्रजराजनगर	606	51	222	9.11	9.71	9.6
8		झारसुगुड़ा	1670	273	875	27.45	26.62	25.94

*****